रामस्वरूप

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान

अपराधिक अपील संख्या 548 वर्ष 2008

मार्च 2025, 2008

(डॉ. अरिजीत पसायत एवं पी. सथाशिवम, जेजे.)

दंड संहिता, 1860; धारा 302:

आपराधिक विचारण

हत्या- मौखिक साक्ष्य बनाम चिकित्सकीय साक्ष्य- साक्ष्य- अभियुक्त एवं सह अपराधी ने मृतक पर चाकू से हमला किया जिससे खून बहा- चोटों के कारण मृत्यु हुई- प्र.सू.रि.- आरोप पत्र- विचारण न्यायालय ने हत्या के अपराध के लिये दोष सिद्ध किया एवं तदनुसार दण्डादिष्ट किया- उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गयी- शुद्धता- अवधारित- चिकित्सकीय साक्ष्य मूल रूप से सलाहकारी होता है एवं मौखिक साक्ष्य को प्रधानता मिलनी चाहिए परन्तु- ऐसा तभी होता है जबकि मौखिक साक्ष्य के अनुसार दावा करने वाली चोट को चिकित्सकीय साक्ष्य द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है ऐसे मामालों में न्यायालय प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकती है- प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की साक्ष्य को खारिज करने के लिये चिकित्सकीय साक्ष्य का उपयोग तभी किया जा सकता है जब वह इतना निश्चायक हो कि प्रत्यक्षदर्शी की साक्ष्य को सत्य मानने से इन्कार कर दिया

जाये- केवल चिकित्सकीय साक्षी द्वारा व्यक्त की गयी राय के आधार पर किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की साक्ष्य को अस्वीकार करना अपराधिक न्याय प्रशासन के अनुकूल नहीं है- हस्तगत प्रकरण में अभियोजन साक्षी पी.ड. 3 तथा पी.ड. 4 की साक्ष्य में मामूली भिन्नता थी जो किसी भी तरह अभियोजन की विश्वसनीयता को नुकसान नहीं पहुंचाती है- अतः विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त/अपीलकर्ता को दोषसिद्ध करने के लिए साक्ष्य पर विश्वास करना उचित था- प्रत्यक्षदर्शी साक्षी- की साक्ष्य। शिकायतकर्ता के अनुसार उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब वह, मृतक और अन्य व्यक्ति के साथ खडा था, एक मामूली बात पर, अभियुक्त- अपीलार्थी तथा सह अपराधी ने मृतक पर हमला किया। अपीलकर्ता ने कथित तौर पर मृतक पर चाकू से वार किया। मृतक नीचे गिरा तथा उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। शिकायतकर्ता द्वारा प्र.सू.रि. दर्ज करवायी गयी। प्रकरण में अनुसंधान के बाद अभियुक्त के विरुद्ध धारा 302 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध तथा सह अभियुक्त के विरुद्ध धारा 302 सपठित धारा 34 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध के अंतर्गत आरोप पत्र पेश किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 302 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध में दोषसिद्ध किया गया एवं तदनुसार दण्डदिष्ट किया गया, परंतु सह अपराधी को दोषसिद्ध किये जाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने के कारण दोषमुक्त किया गया। व्यथित होकर अपीलार्थी ने इसके विरुद्ध अपील की जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। अतः हस्तगत अपील की गयी।

अभियुक्त- अपीलार्थी ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने इस तर्क को नजरअंदाज किया कि पी.ड. 3 तथा पी.ड. 4 ने सत्य कथन नहीं किया। उनके द्वारा वर्णित परिदृश्य से अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं होती और पी.ड. 3 तथा पी.ड. 4 द्वारा बताये गये हमले तथा चोट पहुंचाने के तरीके की चिकित्सकीय साक्ष्य से पुष्टि नहीं होती है।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुये

अवधारितः

1.1 जहां तक चिकित्सकीय साक्ष्य तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के बीच कथित भिन्नता का प्रश्न है, यह पुरानी विधि है कि मौखिक साक्ष्य को प्रधानता मिलनी चाहिये और चिकित्सकीय साक्ष्य मूल रूप से सलाहकारी होता हो। ऐसा तभी होता है जबकि चिकित्सकीय साक्ष्य द्वारा विशेष रूप से मौखिक साक्ष्य के अनुसार दावा करने वाली चोट को अस्वीकार कर दिया जाता है, ऐसे मामलों में न्यायालय को प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना पड़ता है। (पेरा- 8) (488-ई)

1.2 अब यह स्थापित हो गया है कि चिकित्सकीय साक्ष्य का उपयोग प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की साक्ष्य को अस्वीकार करने के लिए तभी किया जा सकता है जब वह इतना निश्चायक हो कि प्रत्यक्षदर्शी की साक्ष्य का सत्य होने की सम्भावना को भी अस्वीकार कर दिया जाये। एक चिकित्सक को सामान्यतया उन चोटों या पोस्टमार्टम के कारण होने वाली विभिन्न सम्भावनाओं के बारे में ऐसे प्रश्नों का सामना करना पडता है, जिन्हें उसने मेडिकल रिपोर्ट में देखा है, वे प्रश्न पूछे जाने के तरीके के आधार पर एक या दूसरे तरीके से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते है लेकिन ऐसे प्रश्नों में साक्षियों द्वारा दिये जवाब ऐसी सम्भावनाओं के अंतिम शब्द बनने की आवश्यकता नहीं है। आखिर वह अपने प्रश्नों पर सिर्फ अपनी राय ही देते है, लेकिन चिकित्सकीय साक्षी द्वारा व्यक्त की गयी ऐसी राय के आधार पर किसी प्रत्यक्षदर्शी की साक्ष्य को अस्वीकार करना अपराधिक न्याय प्रशासन में अनुकूल नहीं है। (पैरा 9) (488-जी एवं एच; 489-ए एवं बी)

मांगे बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा (1979) 4 एससीसी 349; स्टेट ऑफ यू.पी. बनाम कृष्ण गोपाल व अन्य एआईआर (1988) एससी 2154; रामदेव व अन्य बनाम

स्टेट ऑफ यू.पी. (1995) सप्लीमेंट्री 1 एससीसी 547; स्टेट ऑफ यू.पी. बनाम हरबन सहाय व अन्य (1988) 6 एसीसी 50 व रामानंद यादव बनाम प्रभु नाथ झा व अन्य (2003) 12 एससीसी 606- पर भरोसा किया।

2. विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने पी.ड. 3 तथा 4 की साक्ष्य का विस्तृत विवेचन किया जो स्पष्ट रूप से अभियुक्त-अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोपों को सामने लाते हैं। उसमें कुछ मामूली भिन्नता है जो किसी भी तरह अभियोजन की कहानी की विश्वसनीयता को नुकसान नहीं पहुंचाती है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का साक्ष्यों पर विश्वास करना तथा अभियुक्त अपीलकर्ता को दोषसिद्ध ठहराना उचित था। (पैरा- 11) (489- सी एवं डी)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 548 सन् 2008

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की डी.बी. आपराधिक अपील संख्या 473/2001 के निर्णय एवं आदेश दिनांक 26.07.2005 से

राधेश्याम जेना अपीलार्थी की ओर से।

मिलिन कुमार एवं अरूणेश्वर गुप्ता प्रत्यर्थी की ओर से

डॉ. अरिजीत पसायत, जे. द्वारा निर्णय सुनाया गया।

1. अपील की अनुमति दी गयी।

2. इस अपील द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा दिये गये निर्णय को आक्षेपित किया गया है जिसमें विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संख्या 1 जोधपुर द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (संक्षेप में आईपीसी) की धारा 302 के अधीन

दण्डनीय अपराध के लिये दोषसिद्ध करने एवं आजीवन कारावास में दण्डादिष्ट करने के निर्णय को पुष्ट किया गया है।

3. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है:-

तुलश सिंह नामक व्यक्ति ने तालेसर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवायी थी कि दिनांक 19.11.1999 को वह, सवाई सिंह, सुमेर सिंह (बाद में मृतक के रूप में संदर्भित) और विजयसिंह के साथ सडक पर खडा था। शाम लगभग 4 बजे लक्ष्मण सिंह, जो कि उसके साथ पास के स्कूल में पढता था, आया और बताया कि जब बच्चे आपस में बात कर रहे थे तो अपीलकर्ता रामस्वरूप ने उसे थप्पड मार दिया। उस समय रामस्वरूप और श्रवणलाल सडक पर खडे थे। जब सुमेर सिंह ने रामस्वरूप से पूछा कि उसने लक्ष्मण को क्यों पीटा, इस पर श्रवणसिंह ने सुमेर सिंह को पीटना शुरू कर दिया और शिकायतकर्ता ने उसको अलग करने का प्रयास किया। इस बीच अपीलार्थी ने जान से मारने की नीयत से सुमेरसिंह पर चाकू से वार कर दिया। सुमेरसिंह के सीने पर दो वार और पीठ पर चाकू का एक वार लगा और खून बहने लगा और वह गिर पडा। जब शिकायतकर्ता और अन्य लोग सुमेरसिंह को संभाल रहे थे, श्रवणलाल और अभियुक्त-अपीलकर्ता रामस्वरूप भाग गये। सुमेर सिंह के बडे भाई कुम्भसिंह वहां पहुंचा। घायल अवस्था में सुमेर सिंह को जोधपुर के गांधी अस्पताल में ले जाया गया लेकिन अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गयी। इस सूचना के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान किया गया। आरोपी अपीलार्थी पर धारा 302 भा.द.स. के अधीन एवं सहअभियुक्त श्रवणलाल पर भा.द.स. की धारा 302 सपठित धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाते हुए आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। मामला सत्र न्यायालय को कमिट किया गया तथा दोनों अभियुक्तगण ने विचारण का सामना किया क्योंकि उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया और आरोप से इन्कार किया। अभियोजन

पक्ष ने अपनी कहानी के समर्थन में 14 गवाहों को परीक्षित करवाया। तुलश सिंह पी.ड. 3 और सवाई सिंह पी.ड.4 को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बताया गया। विचारण न्यायालय ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद आरोपी अपीलकर्ता को दोषी पाया तथा आईपीसी की धारा 302 भा.द.स. के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोपी अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और सजा सुनायी गयी।

4. विचारण न्यायालय में पाया कि अभियुक्त श्रवणलाल को दोषी ठहराया जाने के लिए साक्ष्य पर्याप्त नहीं थी।

5. उच्च न्यायालय ने आरोपी अपीलकर्ता की अपील में कोई योग्यता नहीं पायी और खारिज कर दिया।

6. अपील के संबंध में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज किया कि पी.ड. 3 और 4 ने सत्य कथन नहीं किया है। उनके द्वारा वर्णित परिदृश्य से अभियोजन की कहानी की पुष्टि नहीं होती है और पी.ड. 3 और 4 द्वारा बताये गये हमले और चोट पहुंचाने के तरीके की चिकित्सकीय साक्ष्य से पुष्टि नहीं होती है।

7. इसके विपरीत प्रतिवादी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किया गया, विचारण न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

8. जहां तक चिकित्सकीय साक्ष्य तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के बीच कथित भिन्नता का प्रश्न है, यह पुरानी विधि है कि मौखिक साक्ष्य को प्रधानता मिलनी चाहिये और चिकित्सकीय साक्ष्य मूल रूप से सलाहकारी होता है परंतु ऐसा तभी होता है जबकि चिकित्सकीय साक्ष्य द्वारा विशेष रूप से मौखिक साक्ष्य के अनुसार दावा करने वाली

चोट को अस्वीकार कर दिया जाता है, ऐसे मामलों में न्यायालय को प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना पड़ता है।

9. भले ही गवाह उस क्षेत्र का विशेषज्ञ हो, ऐसी राय साक्ष्य पर अत्यधिक निर्भरता के कारण किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा दी गयी साक्ष्य की जांच करना आपराधिक प्रकरण में अपनाया जाने वाला सुरक्षित तरीका नहीं है, अब यह स्थापित हो गया है कि प्रत्यक्षदर्शी की साक्ष्य को अस्वीकार करने के लिए चिकित्सकीय साक्ष्य का उपयोग तभी किया जा सकता है, जब वह इतना निर्णायक हो कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के सत्य होने की संभावना को खारिज कर दिया जाये। एक चिकित्सक को सामान्यतः उन चोटों या पोस्टमार्टम विशेषताओं के कारण होने वाली विभिन्न संभावनाओं के बारे में ऐसे प्रश्न का सामना करना पडता है, जिन्हें उन्होंने मेडिकल रिकॉर्ड देखा है। वे प्रश्न पूछे जाने के तरीके के आधार पर एक या अन्य तरीके से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं परंतु ऐसे प्रश्न के गवाह द्वारा दिये गये जवाब ऐसी संभावनाओं पर अंतिम शब्द बनाने की आवश्यकता नहीं है। वह ऐसे प्रश्नों पर सिर्फ अपनी राय ही देते हैं लेकिन केवल चिकित्सकीय साक्षी द्वारा व्यक्त की गयी राय के आधार पर किसी प्रत्यक्षदर्शी की साक्ष्य को अस्वीकार करना आपराधिक न्याय प्रशासन के अनुकूल नहीं है।

10. इसी तरह का विचार मांगे बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा (1979) 4 एससीसी 349; स्टेट ऑफ यू.पी. बनाम कृष्ण गोपाल व अन्य एआईआर (1988) एससी 2154; रामदेव व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. (1995) सप्लीमेंट्री 1 एससीसी 547; स्टेट ऑफ यू.पी. बनाम हरबन सहाय व अन्य (1988) 6 एसीसी 50 व रामानंद यादव बनाम प्रभु नाथ झा व अन्य (2003) 12 एससीसी 606 में व्यक्त किया गया।

11. विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने पी.ड. 3 और 4 की साक्ष्य का विस्तार से विश्लेषण किया है जो स्पष्ट रूप से अभियुक्त अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोपों

को सामने लाते हैं। कुछ मामूली भिन्नता है जो किसी भी तरह से अभियोजन कहानी की विश्वसनीयता को नुकसान नहीं पहुंचाती है, इसलिए विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय का अपने सबूतों पर विश्वास करना और आरोपी अपीलकर्ता को दोषसिद्ध किया जाना उचित था। हमें अपील में कोई योग्यता नहीं मिली जिसे तदनुसार खारिज किया गया है।

12. विद्वान एमीकस क्यूरी श्री राधाश्याम जेना ने जिस सक्ष्म तरीके से विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला है उसके लिए हम सराहना दर्ज करते हैं।

एस.के.एस.

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अरूण जैन (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।